बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक:-सं०सं०स्था०2/04-02/2016 1617 /पटना, दिनांक 16.08.16

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)।
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, (गोपालगंज एवं प० चम्पारण को छोड़कर)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सभी शीर्षो के अन्तर्गत त्रैमासिक माह अप्रैल 2016 से जून 2016 तक निकासी/व्यय की गई राशि का महालेखाकार से सत्यापित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार वित्तीय नियमावली 475 के आलोक में महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के पत्रांक 1154 दिनांक 05.11.12 एवं वित्त विभाग के पत्रांक 15891 दिनांक 12.11.12 द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्ति एवं व्यय के आकड़ों का मासिक/त्रैमासिक मिलान महालेखाकार कार्यालय से करने का निदेश है। उल्लेखनीय है कि निदेशालय एवं इनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरुप प्राय: अधिकाय व्यय का मामला प्रकाश में आता है। विदित हो की अबतक मात्र क्षेत्रीय कार्यालय प०चम्पारण एवं गोपालगंज जिले से माह अप्रैल 2016 से जून 16 तक का सत्यापित लेखा विवरणी निदेशालय को प्राप्त है। जबकि सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा अप्रैल 2016 से जून 2016 तक के लेखा का सत्यापित विवरणी जुलाई 2016 के अन्त तक निदेशालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

अत: अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में प्रत्येक तीन माह पर (अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर, अक्टूबर से दिसम्बर एवं जनवरी से मार्च) निकासी की गई राशि के लेखे का मिलान नियमित रुप से महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना के Reconciliation Cell में विशेष दूत भेजकर करना सुनिश्चित किया जाय तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत सत्यापित लेखा की एक प्रति निदेशालय के बजट शाखा में प्रत्येक त्रैमास के अगले माह तक अचूक रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

16/08

निदेशक

ज्ञापांक:- 1617 /पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि:-श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना सूचनार्थ। निदेश है कि इस पत्र को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

16/08

निदेशक

19,विनोद,11.08.16